

जिला पुलिस के साइबर अपराध थाना की टीम ने लोगों में साइबर अपराधों के प्रति चलाया जागरूकता अभियान



करनाल। इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के कारण बढ़ते साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर थाना करनाल पुलिस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बुधवार को साइबर पुलिस की टीमों ने जिला पुलिस के साथ मिलकर अलग-अलग स्कूलों, गांवों में लोगों को जागरूक करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी कार्यक्रम कर लोगों को साइबर अपराध से बचने के गुरु बताए।

साइबर अपराध थाने की टीम ने शहर के पुराना बस अड्डा व बाल्मीकि चौक पर सेमिनार का आयोजन कर एकत्रित लोगों को साइबर अपराधों की प्रवृत्ति व उससे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि साइबर अपराधी किस तरह से लोगों को फंसाते हैं। एटीएम कार्ड ब्लॉक होने, सस्ते दर पर लोन देने, लॉटरी में करोड़ों रुपये जीतने की कॉल कर साइबर अपराधी आपको भुगतान लिंक भेजते हैं। यह लिंक कुछ और नहीं आपके बैंक अकाउंट से राशि दूसरे खाते में टांसफर करने का होता है। इसके बाद आपके अकाउंट पर एक औटोपी आता है उसे बताते ही आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। इस तरह के अपराध से कैसे बचा जाए इस जानकारी के साथ बरती जाने वाली सावधानियां से अवगत करवाया गया। इस दौरान पी/एसआई चांदराम के नेतृत्व में साइबर अपराध थाना की टीम रौनक, लवकेश, सुनील, कर्मवीर व करीब 250 लोग मौजूद रहे।

इस सेमिनार में लोगों को बताया गया कि कैसे साइबर ठग लोगों के साथ ठगी करने के अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। जिसके कारण लोग अर्थिक ठगी के साथ मानसिक तौर पर भी परेशान रहते हैं। इंटरनेट की दुनिया में व सोशल मीडिया साइट्स पर हमारी छोटी सी गलती कैसे हमारे लिये अर्थिक तौर व मानसिक तौर पर हानिकारक साबित होती है। छात्रों को बताया गया कि इंटरनेट प्रयोग करते समय हमें हमेशा सुरक्षित वेबसाईटों पर ही विजिट करनी चाहिए। अपने सोशल मीडिया खातों को एक मजबूत पासवर्ड लगाकर सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी कोई भी फोटो या विडियो इंटरनेट पर शेयर नहीं करनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल या वीडियो कॉल करने से परहेज करना चाहिए और सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति के पास ना तो फ्रेंड रिक्रेस्ट भेजनी चाहिए और ना ही किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्रेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए। किसी भी तह का ओटीपी नम्बर हमें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। योशल साइट्स पर प्रचलित प्रलोभन देने वाले संदेशों के ज्ञांस में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की उपयोगी जानकारी हम अपने परिवारिक सदस्यों, परिचितों व सगे संबंधियों के साथ साझा करके उनके साथ होने वाले साइबर अपराध से उनको बचा सकते हैं। इस प्रकार की छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर हम एक संभावित बड़ा साइबर अपराध होने से बच सकते हैं। इसके अलावा विधार्थियों को साइबर अपराध होने की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाईन नम्बर 1930, 112 व राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट साइबरक्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर शिकायत करने के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया गया।

दर्दनाक हादसे में मां-बेटे की मौत

करनाल। दोहती का जन्मदिन मनाने के लिए उत्तर प्रदेश जा रही महिला और उसके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिवार वाले गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे और केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आरोपी गाड़ी चालक को हिरासत में लेकर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी है।

जानकारी के अनुसार गांव खुसली निवासी हिमांशु (20) अपनी माँ के साथ यूपी में अपनी बहन के घर अपनी भाजी के जन्मदिन पर जा रहे थे। हिमांशु माँ को बाइक पर बैठा कर ले जा रहा था। जैसे ही वह लोग मंगलोरा के पास पहुंचे तो सामने से आ रही अनियंत्रित गति कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में हिमांशु और उसकी माँ दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर और हिमांशु के पास से मिले मोबाइल के आधार पर परिजनों से संपर्क किया और हादसे की जानकारी दी।

मंगलोरा चौकी इंचार्ज राजन प्रभारी ने बताया कि दोनों मृतकों का पोस्टमॉर्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। परिजनों की शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाना और गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कर तपतीश शुरू कर दी गई है।

जिला कारागार करनाल में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन और कैदियों की सुनी समस्याएं

करनाल। जिला कारागार करनाल में जसबीर कौर, मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल के द्वारा स्पेशल जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 5 अंडर ट्रायल कैदियों के केसों का चयन किया गया और उसमें से 4 केस में 4 के जुर्म कबूलने के बाद अंडरगोन किया गया।

सुश्री जसबीर ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जसबीर कौर ने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह सुपरिंटेंडेंट जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल को भेज सकता है। अर्थारिटी के द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय 3 लाख से कम है ऐसे व्यक्ति



मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। आज की जेल लोक अदालत में अमित भादू, सुपरिंटेंडेंट जिला जेल कारागार, करनाल सुश्री शैलाक्षी भारद्वाज, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, जिला जेल कारागार, करनाल भी उपस्थित थे। शैलाक्षी भारद्वाज, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, जिला जेल कारागार ने जसबीर कौर, मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल को आश्वस्त किया कि हम ससाह में एक बार सभी कैदियों से पूछते रहते हैं कि किसी के पास कोई वकील उसके केस की पैरवी करने के लिए ना हो तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल के द्वारा उसे निशुल्क प्रदान किया जाएगा।

'सहकार से समृद्धि' के तहत 45 प्रमुख पहल की हुई शुरूआत : उपायुक्त

करनाल। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए 45 प्रमुख पहल की हैं।

नई पहल के तहत प्रत्येक गांव में डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पैक्सों के माध्यम से 1100 एफपीओ गठन करने का निर्णय लिया है ताकि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत बनाने के लिए यह शुरूआत की है। उपायुक्त ने बताया कि आने वाले समय में पैक्स केंद्रों पर पैट्रोल, डीजल व गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

उन्होंने बताया कि पैक्सों को एलपीजी गैस वितरण व पेट्रोल व डीजल के रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।

सभी पैक्सों को उर्वरक वितरण केन्द्र के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्पर्क केन्द्र स्थापित करने के लिए छिंडकाव के लिए ड्रेन उद्यमी व ड्रेन प्रशिक्षण दिलाने की पहल की गई है। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों के ऊपर आयकर पर लगने वाले अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है ताकि सदस्यों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

घर बैठे प्राप्त करें मजदूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्बगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

paytm

MM

Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460